प्रार्थीः– मूलचन्द पुत्र श्री देवीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला–जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः– श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई

अप्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 2/2/2021

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 56 बीघा 09 बिस्वा मौजा चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम खेताराम पि. देवीलाल दर्ज हैं लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम मूलचन्द हैं। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश खेताराम दर्ज कर दिया जो गलत हैं। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम मूलचन्द दर्ज है तथा अन्य भूमि खसरा नम्बर 55/8 ग्राम चण्डालिया के राजस्व रेकर्ड में भी मूलचन्द पि. देवीलाल दर्ज हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में सुधारा जाकर मूलचन्द दर्ज किया जाता हैं तो अन्य खातेदारान को कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की

सहायक कलेक्टर, पीपाड़

Scanned with CamScanner

खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 56 बीघा 09 बिस्वा मौजा ग्राम चण्डालिया में प्रार्थी का नाम खेताराम दर्ज कर रखा हैं जो गलत हैं उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम मूलचन्द दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम खेताराम पि. देवीलाल के स्थान पर मूलचन्द पुत्र देवीलाल किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससें यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम मूलचन्द पुत्र देवीलाल है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 56 बीघा 09 बिस्वा मौजा चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम खेताराम पुत्र देवीलाल के स्थान पर मूलचन्द पुत्र देवीलाल दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलेक्टर, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 2/2/2021 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलेक्टर, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner